

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 अटल सेवा केन्द्र चवा

क्रमांक रीडर/2018/2378

दिनांक-31-12-18

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 गुमनाराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।


1 पूनमाराम पुत्र रणछोड़ाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-63/2018

दिनांक-22.06.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूढणों की ढाणी पटवार क्षेत्र सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 638/27 रकबा 11.06 बीघा, खसरा संख्या 642/29 रकबा 07.11 बीघा, खसरा संख्या 645/94 रकबा 13.03 बीघा, खसरा संख्या 93 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 612/82 रकबा 20.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक-31-12-18

क्रमांक :- रीडर/2018/2375 - 2382

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्ता पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गुमनाराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पूनमाराम पुत्र रणछोड़ाराम वगैराह जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी सरणू तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर